(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

वनीशा कोठारी, 2– कंचन विहार सांगानेर रोड, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 24/**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28–03–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक **22–01–2025** में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा** रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील **12–03–2025** को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा** ने जरिये पत्रांक 20062 दिनांक 04–03–2025 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना जरिये पत्रांक 20034 दिनांक 28–02–2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रू. 72 प्रतिलिपि शुल्क के बतौर जमा कराने हेतू आदेशित करते हुए प्रार्थी अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील की जवाब के समर्थन में अभिलेख पर मौजूद है। 4. अपीलार्थी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई आपति एवं एतराज प्रस्तुत किया जाना अभिलेख पर मौजूद नहीं है और अपीलार्थी से किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज भी प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के यहॉ अपेक्षीत राशि जमा करा कर शेष सूचना प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी – प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	